	बैंक ऑफ़ इंडिया प्रधान कार्यालय	मानव संसाधन विभाग औद्योगिक संबंध प्रभाग
शाखा परिपत्र सं.: 113/165	विषय : मानव संसाधन/2019-20/	
उप-विषय : स्टाफ संबंधी मामले(अधिकारी/अवार्ड स्टाफ)		
संदर्भ : एचओ:एचआर:आईआर:जीएस: 13	दिनांक: 16.12.2019	

सभी शाखाओं/कार्यालयों के लिए परिपत्र

अधिकारी तथा अवार्ड कर्मचारियों के  
समाचार पत्र खर्चों की  
प्रतिपूर्ति के संबंध में

- समाचार व्यय के बदले कल्याण व्यय(Wellness  
expenses) की प्रतिपूर्ति योजना का आरंभ

हमारे बैंक में अधिकारियों एवं अवार्ड स्टाफ को समाचार पत्र के लिए किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाती है। अधिकारियों एवं अवार्ड स्टाफ के लिए इसे क्रमशः शाखा परिपत्र सं.103/44 दिनांक 11.06.2009 एवं शाखा परिपत्र सं. 106 /83 दिनांक 03/09/2012 द्वारा परिचालित किया गया था। यह व्यय कर्मचारी द्वारा मुख्यतः स्वयं को बैंक की छवि के अनुरूप नवीनतम समाचार, प्रगति एवं सूचना से अवगत रखते हुए ज्ञान के स्तर को बढ़ाने के लिए है।

2. आज के तेजी से बदलते हुए वित्तीय संसार में बैंकिंग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी से ज्यादा संचालित होती है। व्यावसायिक जीवन में इन परिवर्तनों के साथ बढ़ते तनाव की पृष्ठभूमि में कर्मचारियों का न केवल व्यापक जानकारी रखना एवं जागरूक रहना आवश्यक है, अपितु बेहतर कार्य-जीवन संतुलन और कार्य में उत्पादकता के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वास्थ्य रहना भी जरूरी है।

3. स्वयं के विकास और मानसिक स्वस्थता तथा शारीरिक दक्षता की दृष्टि से सकारात्मक प्रभाव लाने के लिए जिससे संस्था के प्रति अपनत्व और सुदृढ़ हो कि वह अपने कर्मचारियों के कल्याण का ध्यान रखती है। इसलिए कर्मचारियों में संपूर्ण स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक योजना शुरू करने की आवश्यकता महसूस की गई।

4. इस बारे में अधिकारियों एवं अवार्ड स्टाफ द्वारा समाचार पत्र के लिए खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति करने की वर्तमान योजना को कर्मचारी के स्वास्थ्यप्रद गतिविधियों जैसे बैंकिंग / प्रबंधन/ आत्मविकास/ स्वास्थ्य आदि से संबंधित आवधिक पत्रिकाएं और योग,शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों पर खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति करने की योजना से प्रतिस्थापित करने के बारे में विचार-विमर्श किया गया था।

5. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए इस विषय को निदेशक मंडल की बैठक दिनांक 27.11.2019 में प्रस्तुत किया गया था और निदेशक मंडल ने समाचार पत्र हेतु अधिकारियों और अवार्ड स्टाफ द्वारा व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति करने की वर्तमान योजना को समाप्त कर कल्याण व्यय की प्रतिपूर्ति शुरू करने हेतु अपना अनुमोदन प्रदान किया है। घोषणा के आधार पर कल्याण व्यय की प्रतिपूर्ति करने की नई योजना

निम्नानुसार है:-



(क) कल्याण व्यय (अधिकारी)


वेतनमान	प्रति माह कल्याण व्यय (रुपये)
वेतनमान I	450.00
वेतनमान II	470.00
वेतनमान III	500.00
वेतनमान IV तथा V	750.00
वेतनमान VI तथा VII	1000.00

(ख) कल्याण व्यय (अवार्ड स्टाफ)


वर्ग	प्रति माह कल्याण व्यय (रुपये)
लिपिकीय स्टाफ	400.00
सब-स्टाफ	300.00

6. संशोधित कल्याण व्ययों की प्रतिपूर्ति दिनांक 01.12.2019 से प्रभावी होगी।

7. कृपया शाखाओं/कार्यालयों में कार्यरत सभी स्टाफ सदस्यों को इस परिपत्र की विषयवस्तु से अवगत कराएं।

  
(अरविंद वर्मा)  
महाप्रबंधक



	<b>Bank of India Head Office</b>	<b>Human Resources Department, Industrial Relations Division.</b>
Branch Circular No. : <i>113/165</i>		Sub: Human Resources / 2019-20/
Sub-subject: Staff Matters (Officers/Award Staff)		
Ref : HO:HR:IR:GS: 13		Date : <i>16.12.2019</i>

**CIRCULAR TO ALL BRANCHES / OFFICES**

**Reimbursement of expenses incurred  
by Officers & Award Staff in respect of  
Newspaper**

**- Introduction of Wellness Expenses in lieu of  
newspaper expenses**

In our Bank, Officers and Award Staff are allowed reimbursement of expenses incurred towards Newspaper. The same was circulated vide Branch Circular No.103/44 dated 11.06.2009 & Branch Circular No.106/83 dated 03.09.2012 for Officers & Award Staff respectively. This is primarily the expenses incurred by the employee towards enhancing the knowledge level by updating self with latest news, developments and information in tune with the image of the Bank.

2. In the fast changing financial world today, banking is driven more by information and technology. With these changes coupled with the stress in professional life, employees are required to not only be equipped with wider knowledge and broad based awareness but also have to take care of physical and mental fitness for a better work-life balance and productiveness in work.

3. In order to bring in a positive impact towards self-development and fitness for mental and physical agility so that belongingness is reinforced towards the organization that is caring for the well-being of its employees. Therefore, a need was felt to introduce a scheme to encourage wellness amongst employees.

4. The matter was deliberated at length to replace the present scheme for reimbursement of expenses by Officers & Award Staff in respect of Newspaper with a new scheme for reimbursement of Wellness Expenses incurred towards employee well-being activities like purchase of periodicals/books on banking/Management / self-development / health etc., and towards yoga, physical fitness etc.

5. In view of the above, the matter was placed before the Board of Directors in its meeting held on 27.11.2019 and Board of Directors has approved to introduce reimbursement of Wellness Expenses by dispensing existing scheme for reimbursement of expenses incurred by Officers & Award Staff in respect of Newspaper. The new scheme for reimbursement of Wellness Expenses on declaration basis will be as under:-



**(A) Wellness Expenses (Officers):**

Scale	Wellness Expenses per month (Rs.)
Scale I	450.00
Scale II	470.00
Scale III	500.00
Scale IV & V	750.00
Scale VI & VII	1000.00

**(B) Wellness Expenses (Award Staff):**

Category	Wellness Expenses per month (Rs.)
Clerical staff	400.00
Sub-staff	300.00

6. The revised reimbursement of Wellness Expenses will be effective from 01.12.2019.

7. Please bring the contents of this Circular to the notice of all Staff members working in the Branches / Offices.

  
(Arvind Verma)  
General Manager

\\172.16.16.27\Kiran\SS\Banyal\Circulars\Wellness Expenses Circular.doc

